भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 4056

उत्तर देने की तारीख: 17.03.2026

पीएम-'यशस्वी' और 'श्रेष्ठ' योजनाएं

4056. श्री राकेश राठौर:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2020-21 और 2024-25 के बीच पीएम- 'यशस्वी' और 'श्रेष्ठ' जैसी योजनाओं सहित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं में लगभग 89 लाख लाभार्थियों की कमी आई है;

(ख) क्या राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने, बायोमीट्रिक विसंगतियों और तकनीकी गड़बड़ियों के कारण छात्रों को बाहर रखा गया है;

(ग) यदि हां, तो कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को बाहर रखे जाने के बाद मैट्रिक-पूर्व अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्तियों में लगभग 76 प्रतिशत की गिरावट के क्या कारण हैं और इस अंतर को पाटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या मंत्रालय को निधियों के संवितरण में विलंब और केन्द्रीय और राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पोर्टलों के बीच समन्वय की कमी की जानकारी है; और

(ङ) उक्त मुद्दों के राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के समावेशन लक्ष्यों पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (घ): विभाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के कल्याण, शैक्षिक सशक्तिकरण और उन्नति के लिए पीएम-यशस्वी और श्रेष्ठ जैसी योजनाओं सहित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है।

छात्रवृत्ति प्रणालियों को मजबूत करने के लिए आधार-समर्थित सत्यापन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर सुधार जैसे निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि योग्य छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने और अपने करियर की संभावनाओं में सुधार करने के लिए समय पर और पारदर्शी सहायता प्राप्त हो सके।

इसके अलावा, 2021-22 से, ओबीसी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति को युक्तिसंगत बनाया गया था और पहले के अलग-अलग भरण-पोषण भत्ते अर्थात डे-स्कॉलरों को 1,500 रुपये प्रति वर्ष और हॉस्टलरों को 5,500 रुपये प्रति वर्ष के स्थान पर प्रति छात्र 4,000 रुपये प्रति वर्ष की एक समान छात्रवृत्ति शुरू की गई थी।

कुछ मामलों में, कार्यान्वयन एजेंसियों (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों) द्वारा स्वीकृत निधियों के आंशिक या विलंबित उपयोग के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान व्यय कम हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप बाद के वित्तीय वर्ष में बजटीय आवंटन और लाभार्थियों के कवरेज को प्रभावित कर सकता है। तथापि, सरकार छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत निधियों का समय पर उपयोग करने और पात्र छात्रों की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखती है।

इसके अलावा, देरी के लिए आम तौर पर विभिन्न कारकों को जिम्मेदार माना गया है जैसे कि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तावों को देरी से प्रस्तुत करना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने समान हिस्से को देर से जारी करना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के छात्रवृत्ति पोर्टलों को खोलने और बंद करने में देरी आदि। निधि जारी करने में देरी कुछ प्रक्रियात्मक परिवर्तनों के कारण भी हुई है जैसे कि एसएनए से एसएनए स्पर्श प्लेटफॉर्म पर स्विच करना और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इसका अनुपालन किया जाना। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्तियों का संवितरण कर रहे हैं। मंत्रालय छात्रवृत्ति आवेदनों की प्रक्रिया में तेजी लाने और लाभार्थियों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) सुविधा प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर ऑन-बोर्ड करने के उपाय कर रहा है।

(ङ): योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं -

(i) अन्य पक्ष मूल्यांकन अध्ययनों के माध्यम से योजनाओं के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा;
(ii) योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर, राज्य स्तर पर समय-समय पर बैठकें और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा फील्ड दौरे, चिंतन शिविर;
(iii) इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, योजनाओं पर लघु फिल्मों आदि के माध्यम से जागरूकता अभियान;
(iv) श्रेष्ठ के अंतर्गत कार्यान्वयन संस्थाओं को पारदर्शिता से और समय पर निधियां जारी करना सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से मोड-1 के अंतर्गत निजी आवासीय स्कूलों को और मोड-2 के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को भुगतान किया जाता है।
